<u>न्यायालय : सीमा कंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर,</u>

<u>जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)</u>

परिवाद प्रकरण /138/2022

संस्थित दिनांक 14/10/2022

थाना xxxx

अपराध क्रमांक xxxx

रामनरेश उपाध्याय, पिता स्व. श्री नर्मदा प्रसाद, उम्र- 62 वर्ष,

निवासी- ग्राम वार्ड नंबर 07 चंदनियापारा जांजगीर,

थाना व तह. जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)................................परिवादी

<u>विरूद्ध</u>

शैलेन्द्र कुमार सोनी, पिता श्री प्यारे लाल सोनी, उम्र 35 वर्ष,

निवासी- बाजारपारा बलौदा, थाना व तहसील बलौदा,

जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)...अभियुक्त

<u>////निर्णय///</u>

<u>(आज दिनांक 09/12/2024 को खुले न्यायालय में घोषित)</u>

1. अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 02/09/2022 को 10,00,000/-

रूपये (शब्दों में दस लाख रूपये) का चेक क्रमांक 570269 परिवादी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुडगहन जांजगीर का चेक अपने ऋण या अन्य दायित्वों की अदायगी के लिये परिवादी को दिया था, जिसे परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने से अनादरित कर दिया गया, जिसकी सूचना एवं राशि की मांग परिवादी के द्वारा अभियुक्त को नोटिस भेजकर की गई परन्तु आरोपी द्वारा नियत समयावधि में उक्त राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की गयी।

2. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी तथा अभियुक्त का काफी पुराना जान पहचान है तथा आपस में मधुर संबंध है । अभियुक्त थोक में फल बेचने का व्यवसाय करता है तथा अभियुक्त की आर्थिक हैसियत सुदृढ है जिसको परिवादी भलीभांति जानता है । अभियुक्त समय बे समय अपने थोक में फल खरीदने के लिए रकम की आवश्यकता होने पर अभियुक्त, परिवादी से रकम उधार लिया करता था तथा समय पर वापस कर दिया करता था । जिस कारण परिवादी अभियुक्त के उपर सदभाविक विश्वास करता था । अभियुक्त ने दिनांक 18-09-2021 को परिवादी के पास उसके निवास स्थान जांजगीर में आकर अभियुक्त अपने फल व्यवसाय के लिए 10,00,000/-रूपये (दस लाख रूपये) उधारी के रूप में मांग किया। परिवादी अभियुक्त से अच्छे संबंध होने के कारण तथा अभियुक्त की मजबूरी व

आवश्यक रूप से उक्त रकम की मांग पूरा किये जाने की जिद्द को देखते हुए एवं अभियुक्त पर सदभाविक विश्वास करते हुए दिनांक 18/09/2021 को अभियुक्त को 10,00,000/-रूपये उधारी में दिया तथा परिवादी को अभियुक्त ने आश्वासन दिया कि उधारी में दी गई कथित रकम 05 माह बाद परिवादी को वापस कर दी जायेगी तथा अभियुक्त ने रकम लेने बाबत रसीद परिवादी के पक्ष में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया ।

3. परिवादी द्वारा यह भी अभिवचनीत किया गया है कि परिवादी ने 05 माह का समय व्यतीत होने के बाद मौखिक रूप से अभियुक्त से उधार ली गई, रकम वापस लौटाने का अनेको बार आग्रह किया गया, परन्तु अभियुक्त के द्वारा वर्तमान में रकम अदा कर पाने में असमर्थता व्यक्त किया जिस पर परिवादी सदभाविक रूप से अभियुक्त पर भरोसा कर शांत रहा ।

4. अभियुक्त ने परिवादी के द्वारा पुनः रकम वापस करने का तगादा करने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिनांक 02/09/2022 को परिवादी के निवास स्थान जांजगीर में आकर 10,00,000/–रूपये (दस लाख रूपये) का

पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुडगहन, जिला जांजगीर चांपा द्वारा जारी खाता क्रमांक 2151000100050001 में जारी चेक क्रमांक 570269 जिसका आईएफएस कोड PUNB0215100 है, परिवादी को प्रदान किया और परिवादी को आश्वासन दिया कि अभियुक्त के द्वारा उधार ली गई रकम को अदा करने के लिए अभियुक्त के बैंक के एकांउट में चेक में उल्लेखित राशि उपलब्ध है और अभियुक्त यह भी आश्वासन दिया कि परिवादी चेक बैंक में प्रस्तुत कर राशि आहरण कर सकता है ।

5. परिवादी ने दिनांक 02/09/2022 को अभियुक्त द्वारा प्रदत्त कथित चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छ.ग. का खाता क्रमांक 10784222201 में प्रस्तुत किया, जहां अभियुक्त के द्वारा प्रदत्त की गई चेक 70-ADVICE NOT RECEIVED टीप के साथ बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया । परिवादी बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिये जाने से आश्चर्य चकित हो गया और बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिये जाने की सूचना अभियुक्त को देने का परिवादी द्वारा प्रयास किया गया परन्तु अभियुक्त ने परिवादी से कोई संपर्क नहीं किया ।

6. अभियुक्त के द्वारा प्रदत्त चेक का बैंक द्वारा अनादरण होने के बाद परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को चेक अनादरण की सूचना एवं रकम मांग सूचना दिनांक 20/09/2022 को अभियुक्त के सहीं पते पर प्रेषित किया गया । अभियुक्त द्वारा दिनांक 26/09/2022 को परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जिसकी सूचना अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 26/09/2022 को ही मोबाईल द्वारा दी एवं शीघ्र रकम की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया परन्तु निर्धारित समयावधि में अभियुक्त द्वारा चेक में उल्लेखित राशि 10,00,000/-रूपये परिवादी को प्रदान नहीं किया गया । अतः आरोपी को दंडित किये जाने एवं चेक की राशि का दुगनी राशि दिलाये जाने का आदेश करने हेतु परिवादी द्वारा परिवाद पेश किया गया है ।

7. अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां सुनाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया । अभियुक्त

कथन अंतर्गत धारा 313 द.प्र.स. में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया गया है परन्तु प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

8. परिवाद के निराकरण हेतु निम्नानुसार विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है:-

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02/09/2022 को 10,00,000/- रूपये (शब्दों में दस लाख रूपये) का चेक क्रमांक 570269 परिवादी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुडगहन जांजगीर का चेक अपने ऋण या अन्य दायित्वों की अदायगी के लिये परिवादी को दिया था, जिसे परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने से अनादरित कर दिया गया, जिसकी सूचना एवं राशि की मांग परिवादी के द्वारा अभियुक्त को नोटिस भेजकर की गई परन्तु आरोपी द्वारा नियत समयावधि में उक्त राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की गयी ?

//साक्ष्य की विवेचन एवं निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में **परिवादी रामनरेश उपाध्याय (परि.सा.–1)** द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि उसका तथा अभियुक्त का काफी पुराना जान पहचान है तथा आपस में मधुर संबंध है । उक्त साक्षी के साक्ष्य अनुसार अभियुक्त थोक में फल बेचने का व्यवसाय करता है तथा अभियुक्त की आर्थिक हैसियत सुदृढ है जिसको वह भलीभांति जानता है । अभियुक्त समय बे समय अपने थोक में फल खरीदने के लिए रकम की आवश्यकता होने पर अभियुक्त, परिवादी से रकम उधार लिया करता था तथा समय पर वापस कर दिया करता था । जिस कारण परिवादी अभियुक्त के उपर सदभाविक विश्वास करता था ।

10. उक्त साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त ने दिनांक 18-09-2021 को परिवादी के पास उसके निवास स्थान जांजगीर में आकर अभियुक्त अपने फल व्यवसाय के लिए 10,00,000/–रूपये (दस लाख रूपये) उधारी के रूप में मांग किया। उक्त साक्षी के साक्ष्य अनुसार परिवादी अभियुक्त से अच्छे संबंध होने के कारण तथा अभियुक्त की मजबूरी व आवश्यक रूप से उक्त रकम की मांग पूरा किये

जाने की जिद्द को देखते हुए एवं अभियुक्त पर सदभाविक विश्वास करते हुए दिनांक 18/09/2021 को अभियुक्त को 10,00,000/–रूपये उधारी में दिया तथा परिवादी को अभियुक्त ने आश्वासन दिया कि उधारी में दी गई कथित रकम 05 माह बाद परिवादी को वापस कर दी जायेगी तथा अभियुक्त ने रकम लेने बाबत रसीद परिवादी के पक्ष में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया । तत्संबंध में साक्षी द्वारा रसीद प्र**.**पी**.-7** का उल्लेख किया गया है ।

11. उक्त साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि परिवादी द्वारा यह भी अभिवचनीत किया गया है कि परिवादी ने 05 माह का समय व्यतीत होने के बाद मौखिक रूप से अभियुक्त से उधार ली गई, रकम वापस लौटाने का अनेको बार आग्रह किया गया, परन्तु अभियुक्त के द्वारा वर्तमान में रकम अदा कर पाने में असमर्थता व्यक्त किया जिस पर परिवादी सदभाविक रूप से अभियुक्त पर भरोसा कर शांत रहा ।

12. उक्त साक्षी के साक्ष्य अनुसार परिवादी के द्वारा अभियुक्त से पुनः रकम वापस करने का तगादा करने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिनांक

02/09/2022 को परिवादी के निवास स्थान जांजगीर में आकर 10,00,000/– रूपये (दस लाख रूपये) का पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुडगहन, जिला जांजगीर चांपा द्वारा जारी खाता क्रमांक 2151000100050001 में जारी चेक क्रमांक 570269 जिसका आईएफएस कोड PUNB0215100 है, परिवादी को प्रदान किया और परिवादी को आश्वासन दिया कि अभियुक्त के द्वारा उधार ली गई रकम को अदा करने के लिए अभियुक्त के बैंक के एकांउट में चेक में उल्लेखित राशि उपलब्ध है और अभियुक्त यह भी आश्वासन दिया कि परिवादी चेक बैंक में प्रस्तुत कर राशि आहरण कर सकता है । तत्संबंध में साक्षी द्वारा चेक प्र.पी.–1 का उल्लेख किया गया है ।

13. उक्त साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि परिवादी ने दिनांक 02/09/2022 को अभियुक्त द्वारा प्रदत्त कथित चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छ.ग. का खाता क्रमांक 10784222201 में प्रस्तुत किया, जहां अभियुक्त के द्वारा प्रदत्त की गई चेक 70–ADVICE NOT RECEIVED टीप के साथ बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया । परिवादी बैंक द्वारा चेक अनादरित

कर दिये जाने से आश्चर्य चकित हो गया और बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिये जाने की सूचना अभियुक्त को देने का परिवादी द्वारा प्रयास किया गया परन्तु अभियुक्त ने परिवादी से कोई संपर्क नहीं किया । तत्संबंध में साक्षी द्वारा जमा पावती प्र.पी.–2 एवं रिटर्न मेमो प्र.पी.–3 का उल्लेख किया गया है ।

14. अभियुक्त के द्वारा प्रदत्त चेक का बैंक द्वारा अनादरण होने के बाद परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को चेक अनादरण की सूचना एवं रकम मांग सूचना दिनांक 20/09/2022 को अभियुक्त के सहीं पते पर प्रेषित किया गया । अभियुक्त द्वारा दिनांक 26/09/2022 को परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जिसकी सूचना अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 26/09/2022 को ही मोबाईल से दिया एवं शीघ्र रकम की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया । तत्संबंध में साक्षी द्वारा रकम मांग नोटिस प्र.पी.–4 एवं पोस्ट ऑफिस की रसीद प्र.पी.–5, अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस प्राप्त होने की कंफर्म डिलीवरी प्र.पी.–6 का उल्लेख किया गया है।

15. प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत चेक **प्रपी 01** के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त चेक दिनांक 02/09/2022 को जारी किया गया है । उक्त चेक में दस लाख रूपये अंकित है एवं आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित चेक है । उक्त चेक आरोपी द्वारा परिवादी से लिये गये उधारी रकम के संबंध में प्रदान किये जाने के तथ्य को आरोपी द्वारा अभियुक्त कथन में अस्वीकार किया गया है परन्तु प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा प्रश्नगत चेक आरोपी का होने एवं प्रश्नगत चेक में उसके हस्ताक्षर होने के तथ्य को स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा आक्षेपित नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा मात्र समस्त कथनों को गलत होना व्यक्त किया गया है परन्तु तत्संबंध में परिवादी के उक्त कथनों का खंडन करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक कथन आरोपी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

16. आरोपी द्वारा अपने तर्क में उल्लेखित किया गया है कि परिवादी द्वारा आरोपी के साथ एक अन्य प्रकरण में लोक अदालत में राजीनामा किया गया था, उक्त के संबंध में जमानत बतौर परिवादी द्वारा आरोपी से चेक लिया गया था ।

तत्संबंध में लोक अदालत में पारित निर्णय की प्रति प्रकरण में पेश किया गया है । उक्त दस्तावेज का तात्विक खंडन परिवादी द्वारा नही किया गया है । इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य एक अन्य प्रकरण में राजीनामा हो जाना दर्शित है, परंतु उक्त राजीनामा हेतु प्रश्नतगत चेक आरोपी द्वारा उक्त दिनांक को परिवादी को प्रदान किये जाने का कोई स्पष्ट तथ्य उक्त अधिनिर्णय में उल्लेखित नही है ।

17. प्रकरण में परिवादी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 18-09-2021 को आरोपी द्वारा परिवादी से 10,00,000/- रूपये उधारी लिया गया था, उक्त के संबंध में ही आरोपी द्वारा दिनांक 02-09-2022 को परिवादी को चेक प्रपी 1 प्रदान किया गया था। आरोपी द्वारा मात्र यह तर्क किया गया है कि लोक अदालत में हुये राजीनामा के संदर्भ में जमानत के तौर पर चेक लिया गया था एवं उक्त चेक का परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया है । उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में आरोपी असफल रहा है । प्रकरण में आरोपी द्वारा प्रस्तुत अधिनिर्णय में राजीनामा में जमानत बतौर प्रश्नगत

चेक को प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नही है । इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में किसी भी साक्षी का साक्ष्य दर्ज नहीं कराया गया है और न ही कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । आरोपी द्वारा तर्क किया गया है कि परिवादी लोगो को पैसा देने का ही कार्य करता है एवं लोगों के चेक का दुरूपयोग करते हुए उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराता है। आरोपी द्वारा तर्क किया गया है कि परिवादी वकालत का व्यवसाय करते हैं एवं साथ साहूकारी का काम करते हैं, परिवादी द्वारा अन्य कई लोगों के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराये गये हैं । परिवादी द्वारा अन्य लोगों के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रकरण दर्ज कराने के तथ्य को अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है । परंतु उक्त किसी भी प्रकरण में परिवादी द्वारा झूठा परिवाद पेश किये जाने अथवा परिवादी द्वारा चेक का दुरूपयोग किये जाने संबंधी कोई भी आदेश संबंधित न्यायालयों द्वारा पारित किये जाने के संबंध में भी कोई भी आदेश आरोपी द्वारा प्रकरण में पेश नही किया गया है ।

18. प्रकरण में परिवादी द्वारा वकालत का व्यवसाय किया जाना स्वीकार किया गया है । आरोपी द्वारा तर्क किया गया है कि परिवादी साहूकारी का व्यवसाय करते हैं । उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार आरोपी पर है । तत्संबंध में आरोपी द्वारा अपने तर्क को स्थापित करने हेतु किसी भी साक्षी का साक्ष्य दर्ज नही कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं । परिवादी द्वारा कई लोगों के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का परिवाद पेश किये जाने मात्र से उक्त तथ्य की पुष्टि नही होता है । किसी को जरूरत में पैसा देना एवं ब्याज पर पैसा देना, दोनों में कुछ तात्विक भिन्नतायें हैं । परिवादी द्वारा लोगों को ब्याज में पैसा दिया जाता है, यह स्थापित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश करने में आरोपी असफल रहा है ।

19. प्रकरण मे परिवादी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि आरोपी द्वारा पैसा उधार लिया गया था एवं उक्त राशि के लेनदेन के संबंध में रसीद प्र.पी.–7 भी आरोपी द्वारा निष्पादित किया गया है । उक्त रसीद प्रपी 07 परिवादी द्वारा न्यायालय

में पेश किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि उभयपक्ष के मध्य 10,00,000/–रूपये का नगद राशि उधार लिये जाने का तथ्य उल्लेखित है । उक्त दस्तावेज में आरोपी के हस्ताक्षर भी है जिसका खंडन करने में आरोपी असफल रहा है । इस प्रकार उक्त दस्तावेज परिवादी के कथनों का समर्थन प्रदान करते हैं ।

20. परिवादी के साक्ष्य अनुसार उपरोक्त संव्यवहार के आधार पर उधार रकम के भुगतान हेतु आरोपी द्वारा परिवादी को चेक **प्र.पी.–1** प्रदान किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं धारा 139 के तहत आवश्यक उपधारणा के तहत विधिक दायित्व अथवा ऋण के भुगतान हेतु प्रदत्त किये जाने के तथ्यों की पुष्टि होती है, जिसका खंडन करने में आरोपी असफल रहा है ।

21. परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किया गया कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडनीय पाया गया है । इस प्रकार उक्त चेक विधिक दायित्य के भुगतान हेतु प्रदत्त होना दर्शित हो रहा है । तत्संबंध में आरोपी द्वारा अपने तर्क में उल्लेखित किया गया

है कि उनके द्वारा अन्य प्रकरण में राजीनामा के संदर्भ में बतौर जमानत परिवादी को उक्त चेक प्रदान किया गया था परन्तु उक्त तथ्य की पुष्टि आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से नही हो रही है । इसी प्रकार तत्संबंध में किसी प्रकार का कोई मौखिक साक्ष्य भी उपलब्ध नही है । इसी प्रकार परिवादी द्वारा आरोपी के चेक को दुरूपयोग किये जाने के संबंध में भी आरोपी द्वारा किसी थाने में शिकायत किये जाने का भी कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया गया है । इसी प्रकार परिवादी द्वारा कूटरचित रसीद तैयार किये जाने के संबंध में भी किसी प्राधिकृत संस्था के समक्ष कोई शिकायत नहीं किया जाना दर्शित हो रहा है । इस प्रकार आरोपी यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उनके द्वारा अन्य प्रकरण में राजीनामा में बतौर जमानत परिवादी को चेक दिया गया था एवं परिवादी द्वारा चेक का दुरूपयोग किया गया है।

22. इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि परिवादी के पास आरोपी के द्वारा परिवादी के नाम से जारी चेक संलग्न है। प्रथम दृष्टया उक्त चेक में आरोपी के हस्ताक्षर है एवं उक्त चेक आरोपी का ही है। उक्त तथ्य को आरोपी द्वारा

खंडित नही किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से प्रश्नगत चेक एक विधिक दायित्व के निर्वहन में प्रदान किया जाना दर्शित हो रहा है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा उक्त चेक प्रपी 01 परिवादी को विधिक दायित्व के निर्वहन में प्रदान किया गया था। इस प्रकार परिवादी एवं आरोपी की ओर से उल्लेखित संव्यवहार के माध्यम से यह उपधारणा की जाती है कि आरोपी द्वारा प्रपी 01 का चेक परिवादी को प्रतिफलार्थ एवं विधिपूर्ण ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदान किया गया था। इस संबंध में तत्प्रतिकूल साबित करने का भार आरोपी पर है।

23. प्रकरण में **परिवादी आर.एन. उपाध्याय (परि.सा.01)** द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि उनके द्वारा चेक को भुगतान हेतु दिनांक 02/09/2022 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जांजगीर में जमा किया गया था, जो कि ADVICE NOT RECEIVEDTGD की टीप लिखकर दिनांक 06/09/2022 को अनादरित हो गया था । तत्संबंध में साक्षी द्वारा जमा पावती प्र.पी.–2 एवं चेक अनादरण मेमो प्रपी 03

का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि चेक दिनांक 02/09/2022 से छः माह के भीतर ही दिनांक 02/09/2022 को ही चेक भुगतान हेतु बैंक में जमा किया गया है। इसी प्रकार चेक अनादरण दिनांक 06/09/2022 से एक माह के भीतर नोटिस जारी करने का कथन भी परिवादी द्वारा किया गया है एवं तत्संबंध में साक्षी द्वारा नोटिस **प्रपी 04** का उल्लेख किया गया है, जिसमें नोटिस जारी करने का दिनांक 10/09/2022 उल्लेखित है। इस प्रकार विहित समयावधि में चेक भुगतान हेतु जमा किया जाना एवं समयावधि में ही चेक अनादरण के संबंध में आरोपी को परिवादी की ओर से नोटिस प्रेषित किया जाना दर्शित हो रहा है । उक्त तथ्यों की पुष्टि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों से होती है जिसका खंडन करने में आरोपी असफल रहा है ।

24. परिवादी द्वारा यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त चेक के अनादरण की जानकारी आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर किया गया था जिसके समर्थन में परिवादी द्वारा अधिवक्ता मांग नोटिस दिनांक 10.09.2022 प्र.पी.

04 प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त को उक्त नोटिस की तामिली दिनांक 26–09–2022 को हो गया था। उक्त साक्षी के साक्ष्य अनुसार नोटिस प्राप्त कर लेने के पश्चात भी आरोपी ने नोटिस का जवाब नही दिया एवं चेक की राशि का भुगतान नही किया गया। उक्त साक्षी के साक्ष्य अनुसार आरोपी द्वारा मोबाईल से परिवादी को सूचना दिया गया था कि उसे नोटिस मिल गयी है, वह शीघ्र ही रकम की भुगतान कर देगा । परिवादी द्वारा नोटिस भेजे जाने एवं आरोपी को प्राप्त हो जाने के संबंध में पोस्ट आफिस की रसीद प्रपी 05, डिलीवरी रिपोर्ट प्रपी 06 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं । आरोपी द्वारा नोटिस मिलने के तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परंतु तत्संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नही किया गया है ।

25. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी की ओर से जब प्रथम बार सद्भावनापूर्वक सही और ज्ञात पते पर मांग सूचना प्रेषित किया जाता है, तब साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के

तहत रजिस्टर्ड डाक तामिल हुआ उपधारित किया जाता है, अभियुक्त ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिस पते पर परिवादी द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, वह पता उसका नही है, बल्कि न्यायालय में परिवाद पंजीबद्ध होने के पश्चात् अभियुक्त को उसी पते पर नोटिस तामिल हुआ था, जो यह प्रमाणित करता है कि अभियुक्त को विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किया गया था, जो तामिल भी हुआ था और अभियुक्त द्वारा जान–बूझकर विहित समयावधि में राशि का संदाय नही किया गया है।

26. प्रकरण में आरोपी द्वारा तर्क किया गया है कि परिवादी द्वारा आयकर का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है । तत्संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज प्रकरण में पेश नही है, परंतु प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा वकालत का पेशा किया जाना एवं उक्त के अलावा 25 एकड़ के लगभग उनकी पैतृक भूमि होना बताया गया है । इस प्रकार उक्त परिस्थिति में परिवादी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ दर्शित हो रही है, जिसका खंडन करने में आरोपी असफल रहा है ।

इस प्रकार मात्र आय विवरणी पेश नही होने मात्र से परिवादी की आर्थिक सक्षमता का खंडन नही होता है । इस प्रकार परिवादी अपने आय का स्रोत स्पष्ट करने में सफल रहा है । उक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा प्रस्तुत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत Amul Urhwareshe V. State of NCT of Delhi and Anr. 2013(2)Crimes 80(Del.) से आरोपी को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही होता है । उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि बड़ी राशि की स्थिति में परिवादी का अपने आय का स्रोत स्थापित करना चाहिये ।

27. इसी प्रकार आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का न्यायदृष्टांत ब्रजगोपाल सिंह स्वर्णकार वि. गिरिश रायसेन 2014(1)DCR 539 पेश किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि साक्ष्य से दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण उद्भूत होने से संदेह का लाभ आरोपी को दिया जायेगा । वर्तमान प्रकरण में उक्त संबंधी कोई परिस्थितियां विद्यमान नही है । इस प्रकार उक्त न्याय दृष्टांत से भी आरोपी को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही होता है । आरोपी द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का न्यायदृष्टांत राधेश्याम चन्द्रवंशी वि. ओम प्रकाश 2014(1)DCR 541 पेश किया गया है । उक्त प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होना पाया गया है ।

28. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा विहित समयावधि में प्रश्नगत चेक को बैंक में राशि आहरण हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं नियमानुसार तीस दिन की अवधि के भीतर चेक अनादरण की जानकारी आरोपी को प्रेषित की गई है जिसके संबंध में सूचना उपरांत पन्द्रह दिन के भीतर आरोपी द्वारा चेक की राशि परिवादी को प्रदान नही किया गया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा संदाय करने हेतु असफल रहने के कारण परिवादी द्वारा वर्तमान परिवाद धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित नियमो के प्रावधानो के अधीन प्रस्तुत किया है।

29. विवादित चेक प्रपी 01 आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित है। उक्त तथ्य को आरोपी द्वारा स्पष्ट रूप से आक्षेपित नही किया गया है। उक्त चेक आरोपी के बैंक

खाते का है। आरोपी द्वारा उक्त चेक गुम होने संबंधी अथवा किसी को कोरा चेक दिये जाने का कोई कथन नही किया है। इसी प्रकार आरोपी द्वारा विभिन्न स्तरों में किये कथनों से भी आरोपी का चेक होना एवं उसमें आरोपी के हस्ताक्षर होना दर्शित हुये हैं, जिसका उल्लेख उपरोक्त कंडिकाओं में किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार यह उपधारणा की जावेगी कि चेक प्र.पी. 01 आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रतिफलार्थ लिखा गया था। परिपक्वता के पूर्व प्रतिग्रहित किया गया था। विद्यमान पृष्ठांकन उसी क्रम में दिये गये थे जिस पर विद्यमान है। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार इस परिवाद में ऐसी उपधारणा की जावेगी कि आरोपी ने ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए विवादित चेक परिवादी को दिया था।

30. प्रकरण में आरोपी ने अपने तर्क में परिवादी को उक्त चेक अन्य प्रकरण में राजीनामा में बतौर जमानत दिया जाना बताया गया है परन्तु उक्त तथ्य

को स्थापित करने हेतु पर्याप्त मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में आरोपी असफल रहा है। प्रकरण में तत्संबंध में राजीनामा में निराकृत प्रकरण का अधिनिर्णय की प्रति प्रकरण में पेश किया गया है, परंतु उक्त अधिनिर्णय में जमानत बतौर अन्य चेक दिये जाने का कोई उल्लेख नही है । इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य, तर्क एवं तथ्यों के आधार पर यह दर्शित हो रहा है कि आरोपी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में परिवादी को चेक दिया गया था ।

31. परिवादी के साक्ष्य अनुसार आरोपी ने परिवादी को उधारी रकम के भुगतान हेतु प्रश्नगत चेक प्रदान किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रंगप्पा विरूद्ध श्री मोहन 2010 (1) सी एल डी सी 161 यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की उपधारणा की जाती है। वर्तमान प्रकरण में भी विवादित चेक प्रपी 01 पर आरोपी के हस्ताक्षर है, इसका खंडन करने में आरोपी असफल रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चेक प्रपी 01 में आरोपी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार धारा

118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार उपधारणा की जावेगी कि चेक प्रपी 01 प्रतिफलार्थ लिखा गया है तथा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत यह भी उपधारणा की जावेगी कि आरोपी ने ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए परिवादी को दिया था। इस प्रावधान के अनुसार तत्प्रतिकूल यह साबित करने का भार आरोपी पर है। प्रकरण में आरोपी इस तथ्य का खंडन करने में असफल रहा है कि आरोपी ने ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के लिए परिवादी को चेक प्रदान किया था। रसीद प्र.पी.–7 की लिखापढी का खंडन करने में भी आरोपी असफल रहा है।

32. इस प्रकार धारा 118 एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा की जाती है वह विधि की उपधारणा है जिसका खंडन करने के लिए आरोपी तार्किक संभाव्य व स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उक्त के संबंध में माननीय न्यायालय का न्याय दृष्टांत मानिक लोध विरूद्ध आसाम राज्य 2007(3) जी एल टी 207 अवलोकनीय है जिसमें यह

प्रतिपादित किया गया है कि विधि की उपधारणा का खंडन तब होता है जब आरोपी का स्पष्टीकरण तार्किक एवं संभाव्य होने के साथ साथ सत्य भी हो। परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा की जाती है उसे मात्र स्पष्टीकरण के माध्यम से खंडित नही किया जा सकता है बल्कि खंडन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। आरोपी द्वारा प्रश्नगत चेक राजीनामा प्रकरण में जमानत बतौर दिये जाने का कथन किया गया है परन्तु उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में आरोपी असफल रहा है। इस प्रकार आरोपी परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा का खंडन नही कर पाया है।

33. प्रकरण में आरोपी द्वारा चेक प्रपी 01 के हस्ताक्षर को कोई स्पष्ट चुनौती नहीं दिया गया है एवं जमानत बतौर चेक दिये जाने का तर्क किया गया है परन्तु तत्संबंध में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार नोटिस प्राप्ति के तथ्य को भी आरोपी द्वारा अस्वीकार किया गया है, परंतु पोस्ट आफिस की रसीद प्रपी 05 एवं डिलीवरी रिपोर्ट प्रपी 06 के दस्तावेजों का खंडन करने में आरोपी असफल

रहा है।

34. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण उपरांत परिवादी यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02/09/2022 को 10,00,000/– रूपये (शब्दों में दस लाख रूपये) का चेक क्रमांक 570269 परिवादी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुडगहन जांजगीर का चेक अपने ऋण या अन्य दायित्वों की अदायगी के लिये परिवादी को दिया था, जिसे परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने से अनादरित कर दिया गया, जिसकी सूचना एवं राशि की मांग परिवादी के द्वारा अभियुक्त को नोटिस भेजकर की गई परन्तु आरोपी द्वारा नियत समयावधि में उक्त राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की गयी ।

35. अतः परिवादी को धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

36. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। धारा 138 के प्रावधान मात्र वाणिज्य

प्रकरणों से संबंधित नहीं होते वरन् उन सभी मामलों से संबंधित होते है, जिनका संबंध जारी किये गये चेक का भुगतान करना तथा वैधानिक देनदारियों को प्रदान करना है। वस्तुतः यह एक आपराधिक कृत्य है। जिसमें व्यक्ति दुर्भावनावश ऐसा कृत्य करता है, जिसमें वह यह दिखाता है, कि वह अपनी देनदारियों को पूर्ण करना चाहता है, परंतु वस्तुतः यह जानते हुये भी कि उसके खाते में चेक का आदर करने के लिये धन नहीं है, चेक जारीकर्ता प्राप्तकर्ता के साथ छल करता है, तथा ऐसा अपराध करता है, जिससे न केवल आर्थिक क्षति होती है, वरन् बैंकिग प्रणाली पर आम व्यक्तियों की आस्था व विश्वास समाप्त हो जाता है।

37. प्रकरण में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त को प्रकरण की लंबित अवस्था को दृष्टिगत रखते हुये **परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है, एवं आरोपी के कृत्य से परिवादी को हुई प्रश्नगत चेक की धनराशि की आर्थिक क्षति के तारतम्य में राशि 11,00,000/–रूपये, (ग्यारह**

लाख रूपये) का प्रतिकर अधिरोपित किया जाता है। प्रतिकर की राशि अपील अवधि उपरांत अपील न होने की दशा में परिवादी को दिलाया जावेगा। प्रतिकर के संबंध में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

38. प्रतिकर की राशि अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में भी कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। अतः अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रतिकर राशि अदायगी की दशा में व्यतिक्रम किये जाने पर **1 माह** का **अतिरिक्त सश्रम कारावास** से दण्डित किया जाता है।

39. अभियुक्त की ओर से नियमित उपस्थिति बाबत जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे।

40. अभियुक्त द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि होने की स्थिति में निरोध अवधि तालिका अन्र्तगत धारा 428 द.प्र.सं. तैयार की जावे।

41. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 363 के परिपालन में अभियुक्त को निर्णय

की प्रति तत्काल निःशुल्क दिया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे द्वारा टंकित

(सीमा कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जांजगीर, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(सीमा कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जांजगीर, जिला- जांजगीर चांपा(छ.ग.)

दिनांक **–09/12/2024**

स्थान जांजगीर**,** जिला जांजगीर चांपा **(छ.ग.)**

SEEMA KANWAR

Digitally signed by SEEMA KANWAR
Date: 2024.12.09 18:51:49 +0530

निर्णय निरंतर

परिवाद प्रकरण **/138/2022**

संस्थित दिनांक **14/10/2022**

थाना **xxxx**

अपराध क्रमांक **xxxx**

<u>**प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता**</u>				
क्रमांक	आरोपी का नाम	गिरफतारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा में निरुद्व रहने के अवधि	न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्व रहने के अवधि
1	शैलेन्द्र कुमार सोनी	16.07.2024	निरंक	निरंक

(सीमा कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

SEEMA KANWAR

Digitally signed by SEEMA KANWAR
Date: 2024.12.09 18:52:28 +0530